

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, जालोर

क्रमांक: F10(2)Relief/Inp.sub./Kharif2080/SMF 33-50/24/1952-63

दिनांक: 23/08/24
16/08/2024

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2080/JAL/0008222

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2080 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6034730 दिनांक 11.03.2024 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2080 (खरीफ -2024) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है।

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
आहोर	133	SMF	33%-50%	277727
योग	133			277727

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कृषकों हेतु 2245-02-114-(09)-[01]-12 बजट मद पर भारित होगी।

जिला कलेक्टर,
जालोर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, पाली
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर
6. अति. जिला कलेक्टर, जालोर
7. तहसीलदार, जालोर/राजस्थान
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जालोर
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर, जालोर
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
जालोर

RajKaj Ref
9830636

Signature valid

Digitally signed by Pooja Kumari Parth
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2024.08.23 15:02:06 IST
Reason: Approved